संख्या- 4/2017/2110/एक-9-2017-1(11)/99

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

।- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर, 2017**

विषय :- वर्ष 2017-18 में राजस्व अधिकारियों का शीतकालीन भ्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व प्रशासन के अधिकारियों का आम जनता के मध्य प्रशासन के प्रति विश्वसीनयता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आ रहा है कि विविध कार्यो की व्यस्तता के कारण राजस्व प्रशासन अपने मूल दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राजस्व अभिलेखों के रख-रखाव में लापरवाही/अनियमितताओं से न सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा पहुंचती है। अत: निर्णय लिया गया है कि जन सामान्य के मध्य प्रशासन की विश्वसीयता बनाये रखने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा शीतकालीन भ्रमण के दौरान सकारात्मक प्रभावी निरीक्षण किया जाये। इस भ्रमण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग क्षेत्र में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति का पूर्ण लाभ उठा सके।

2- भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि आन्तरिक सुदूरवर्ती क्षेत्रों (इन्टीरियर) में पिछले वर्षो के शीतकालीन भ्रमण के दौरान यदि किसी स्तर से कोई भ्रमण न हुआ हो तो इस वर्ष वरिष्ठ अधिकारियों का भ्रमण निश्चित रूप से हो जाये। सामान्य रूप से जिलाधिकारियों की शीतकालीन भ्रमण के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित है, यदि अपरिहार्य कारणों से स्वयं उक्त् अवधि तक भ्रमण न कर सके तो न्यूनतम 45 दिन का भ्रमण तथा रात्रि निवास अवश्य करेगे तथा शेष 15 दिन का भ्रमण कार्य व रात्रि निवास अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार के दौरे की अवधि 45 दिन तथा नायब तहसीलदार की अवधि 60 दिन की होगी। सम्पूर्ण जनपद के ग्रामों की पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए नायब तहसीलदार स्तर से जिला अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों के निरीक्षण रोस्टर के अनुसार जिन परगना/हल्के/ग्रामों का निरीक्षण विगत तीन वर्षों से नहीं हुआ है उन्हें उप जिलाधिकाकरी/तहसीलदार /नायब तहसलीदार द्वारा इस वर्ष अवश्यक देखा जायेगा। इस वर्ष शीतकालीन भ्रमण 20 दिसम्बर, 2017 से प्रारम्भ करके 15 मार्च, 2018 तक अवश्य पूर्ण कर लिये जायें।

3- प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण राजस्व अभिलेखों की सत्यता एवं उपयुक्त रख-रखाव के परिप्रेक्ष्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में यह भी निर्णय लिया गया है कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी सप्ताह में कम से एक रात्रि का निवास ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य करेगे। मण्डलायुक्त रात्रि निवास अलग-अलग जिलो में करेंगे। रात्रि निवास का संक्षिप्त विवरण जिलाधिकारी मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की समाप्ति पर उपलब्ध करायेगे। मण्डलायुक्त जिलाधिकारी के भ्रमण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण अपने भ्रमण कार्यक्रम के साथ प्रमुख सचिव एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेगे।

4- भ्रमण में मा0 मुख्यमंत्री जी की विकास प्राथमिकता राजस्व एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों/दिशा निर्देशों के अनुपालनीय बिन्दुओं का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- **भू अभिलेखों का समुचित रख-रखाव एवं सत्यापन-**

5.1 प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराने हेतु दिनांक 16-8-2017 से 16-10-2017 तक चलाया गया था। भ्रमण के दौरान उक्त अभियान के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा ।

5.2 शीतकालीन भ्रमण के दौरान भू- अभिलेखों के रख-रखाव एवं उसके सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाय, सत्यापन में यह देखा जाये कि-

(1) वरासत सम्बन्धी सभी मामलों में प0क0-11 में इन्द्राज कम्प्यूटर खतौनी में सही प्रकार दर्ज हो गये हैं अथवा नहीं।

(।।) निरीक्षण में यह देखा जाये कि तहसील में कुल कितने राजस्व ग्राम है, इन सभी राजस्व ग्रामों में वरासत संबंधी प0क0 ।। का इन्द्राज कम्प्यूटर खतौनी में हुआ है अथवा नहीं।

(।।।) सत्यापन में यह भी देखा जाये कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर वरासत तो दर्ज नहीं की गयी है अथवा सत्यापन के बगैर फर्जी नामों का अंकन तो नहीं हुआ है।

जिन ग्रामों में प0क0-11 की संख्या "शून्य" अथवा अत्याधिक कम है, उन ग्रामों के बारे में विशेष रूप से पड़ताल करा ली जाय कि ऐसा क्यों है ?

(।।।।) अविवादित दाखिल खारिज के प्रकरणों का निरस्तारण 45 दिनों के अन्दर किया जा रहा है या नहीं।

5.3 खतौनी पुनरीक्षण व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2016 की धारा 31(2) के अनुरूप खतौनी में खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण संबंधी कार्यों की समीक्षा।

5.4 विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।

5.5 राजस्व ग्रामों की सीमाओं पर सीमा स्तम्भों की कोर्डिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत, पुर्नस्थापना एवं उनके अक्षांश एवं देशान्तर का निर्धारण कर उसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश संख्या- 1624/एक-9-2017-रा0-9, दिनांक 15-09-2017 तथा तद्क्रम में निर्गत राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 19-09-2017 में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कृत कार्यवाही की समीक्षा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.6 प्रदेश के राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत/सार्वजनिक भूमि/सम्पत्ति के अतिक्रमण हटाने के संबंध में राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1(सामान्य)/2017, दिनांक 01 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1/2017/644/एक-2-2017-रा0-2/1 (सामान्य)/2017, दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा गठित एन्टी भू- माफिया टास्क फोर्स के कार्यों की समीक्षा।

5.7 पैमाइश/हदबन्दी संबंधी वादों का निस्तारण राजस्व संहिता 2006 की धारा-24(3) के अनुसार आवेदन के दिनांक से यथासंभव 03 माह के अन्दर किये जाने की व्यवस्था है। अत: उक्त व्यवस्था के अनुसार निस्तारण की स्थिति की समीक्षा कर ली जाय।

5.8 राजस्व ग्रामों में अवस्थित भूखण्डों (गाटों) हेतु यूनिक कोड निर्धारण एवं वादग्रस्त भूखण्डों (गाटों) का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में अंकन किये जाने के संबंध में राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 09-03-2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कृत कार्यवाही की समीक्षा कर ली जाय।

5.9 आम आदमी बीमा योजना का संचालन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अभिसरण कर दिया गया है। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत पूर्व में लम्बित दावों के निस्तारण की समीक्षा कर ली जाय।

5.10 प्राकृतिक आपदा एवं राहत कार्यों में प्रदर्शित धनराशि पात्र वयक्तियों को प्राप्त हुई अथवा नहीं ? सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उनकों दिये जाने वाले राहत कार्यों की समीक्षा कर ली जाय।

5.11 भारत सरकार की सी0एल0आर0 योजनान्तर्गत खतौती खसरा तथा मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है अथवा नहीं ?

5.12 पट्टों के आवंटन तथा आवंटियों को कब्जा प्राप्त होने की समीक्षा एवं औचक भौतिक सत्यापन।

5.13 भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसानों को नियमानुसार ससमय प्रतिकर का भुगतान तथा जिस परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया गया है, उन्हें भूमि हस्तान्तरित हो गयी है अथवा नहीं, की समीक्षा कर ली जाये।

5.14 उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 में निर्धारित समय सीमा के अनतर्गत सार्वजनिक सेवाएं जनता को प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, की समीक्षा कर ली जाय।

5.15 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अनतर्गत लम्बित दावों की समीक्षा कर ली जाय।

5.16 कम्बल वितरण एवं अलाव जलाने की समुचित व्यवस्था शासनादेश के अनुसार की गयी है अथवा नहीं, की गहन समीक्षा कर ली जाय।

5.17 ग्राम सभाओं की सम्पत्ति रजिस्टर को अद्यावधिक किये जाने की स्थिति की समीक्षा कर ली जाय।

5.18 उत्तर प्रदेश मनी लैण्डिग एक्ट 1976 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, की गहन समीक्षा कर ली जाय।

5.19 लेखापालों द्वारा खसरों का नियमित अपडेशन करने की समीक्षा सहसील/जनपद स्तर पर किया जा रहा है अथवा नहीं ?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.20 आई0जी0 आर0एस0संदर्भों के निस्तारण के गुणवत्ता की समीक्षा।

5.21 फसली ऋण मोचन योजना की समीक्षा।

5.22 निष्क्रान्त शत्रु सम्पत्ति के रख-रखाव एवं प्रबन्धन की समीक्षा।

5.23 सम्पूर्ण समाधान दिवस के अनतर्गत प्राप्त शिाकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा।

5.24 चकबन्दी प्रक्रियाओं का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन-

(क) चकबन्दी के अन्तर्गत चल रहे ग्रामों की धारा-23, 27 एवं 52 की प्रगति की समीक्षा की जाय तथा 10 वर्षों से अधिक पुराने गांवों का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये।

(ख) वर्ष 2013-14 में माह अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2013 तक जनपदों में जो कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है, उसका मौके पर सत्यापन किया जाये कि वास्तव में कब्जा परिवर्तन किया गया तथा चक धारकों को सीमांकन पर कब्जा हस्तान्तरण कर दिया है। कब्जा परिवर्तन एवं चक पैमाइश सम्बन्धी शिकायत का स्थल पर ही निस्तारण किया जाये।

(ग) चकबन्दी अधिकारी कार्य ग्राम में जाकर कर रहे है अथवा नहीं, इसका सत्यापन किया जाये।

(घ) चक काटने का काम गॉव में ही हो इसे सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) चकबन्दी अधिकारी वादों का निस्तारण निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार कर रहे हैं अथवा नहीं, तथा विशेष रूप से पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जा रहा है अथवा नहीं ? 05 वर्ष से अधिक पुराने गांवों के वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

(च) चकबन्दी कर्मियों के लिए हस्तपुस्तिका का वितरण कराकर इसके प्रशिक्षण व अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।

6- ग्राम विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा-

6.1 मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की समीक्षा एवं औचक भौतिक सत्यापन।

6.2 किसान पारदर्शी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा।

6.3 आवास निर्माण योजनान्तर्गत गरीब परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के निर्माण के प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा।

6.4 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओ0डी0एफ0 (खुले में शौचमुक्त) किये जाने की दिशा में कृत कार्यवाही की समीक्षा एवं शौचालय निर्माण की स्थिति एवं गुणवत्ता की जॉच।

6.5 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण एवं गुणवत्ता की समीक्षा।

6.6 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन व नयी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा।

6.7 राज्य वित्त एवं 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा।

6.8 ग्राम स्तर पर विभिन्न विकास के कार्यों के अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति।

7- कृषि एवं सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा-

7.1 कृषिगणना के कार्यों की समीक्षा।

7.2 खाद एवं बीच की उपलब्धता/वितरण की व्यवस्था की समीक्षा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7.3 नहरों में टेलतक पानी पहुंचाने की समीक्षा ।

8- विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा-

8.1 ग्रामों के ऊर्जीकरण की समीक्षा।

8.2 खराब एवं कम क्षमता के ट्रांसफारमर के प्रतिस्थापन की समीक्षा।

8.3 रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की समीक्षा।

8.4 नये विद्युत कनेक्शनों के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा।

9- शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा-

9.1 कक्षा-8 तक के सभी छात्रों को किताबें/यूनीफार्म वितरण की समीक्षा।

9.2 छात्रों के नामांकन की समीक्षा।

9.3 मध्यान्ह भोजन के वितरण एवं गुणवत्ता की समीक्षा ।

9.4 विद्यालयों में मूलभूल सुविधाओं जैसे शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय भवन की स्थिति आदि।

10- चीनी एवं गन्ना विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा-

10.1 किसानों के गन्ना बुवाई हेतु बीज एवं खाद की उपलब्धता की समीक्षा।

10.2 किसानों के गन्ना बकाओं के भुगतान की समीक्षा।

10.3 किसानों के गन्ना विक्रय एवं उसके नियमित भुगतान में आ रही समस्याओं की समीक्षा एवं निस्तारण।

11- खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा-

11.1 राशन कार्डो के आनलाइनफीडिंग एवं आधार से लिंक करने तथा राशन कार्डो के सत्यापन के कार्यों की समीक्षा।

11.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा।

11.3 धान खरीद के कार्यों की समीक्षा व भौतिक सत्यापन।

12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा-

12.1 सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एवं चिकित्सा उपकेन्द्रों पर चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति एवं दवाओं के उपलब्धता की समीक्षा।

12.2 एम्बुलेंस सेवा 108/102 के संचालन एवं उपलब्धता की समीक्षा।

12.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संस्थागत प्रसव एवं नियमित टीकारण की समीक्षा।

12.4 वेक्टर जनित रोग (डेंगू /जे0ई0/ए0ई0एस0) नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा।

12.5 अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा जैसे राष्ट्रीय अंधता निर्वारण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आदि।

14- समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा-

14.1 छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा।

14.2 समस्त पेंशन योजनाओं की समीक्षा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14.3 परिवारिक लाभ योजना की समीक्षा।

14.4 एस0सी0/एस0टी0 पीड़ितों के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा।

14.5 बाल कल्याण समितियों की क्रियाशीलनता व बाल पुष्टाहार के वितरण की स्थिति।

14.6 "राज्य पोषण मिशन" लाल श्रेणी के बच्चों की स्थिति।

14.7 कुपोषण मुक्त ग्राम योजना की प्रगति।

14.8 ममता दिवस/बचपन दिवस/लाडली दिवस की प्रगति।

14.9 "रानी लक्ष्मीबाई कोष" के अन्तर्गत प्रगति।

15- गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा-

15.1 जघन्य अपराधों में कार्यवाही की समीक्षा।

15.2 महिलाओं से जुड़े अपराध में कार्यवाही की समीक्षा।

15.3 हिस्ट्रीशीटर एवं भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा।

15.4 अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा।

15.5 महिला हेल्पलाइन योजना की समीक्षा।

15.6 थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की मसीक्षा।

15.7 सार्वजनिक/शासकीय भूमि पर अवैध कब्जामुक्त कराने की समीक्षा।

16- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग-

नोडल अधिकारीगण द्वारा जनपद का शीतकालीन भ्रमण तथा एक ग्राम में रात्रि विश्राम

(1) शासनादेश के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यो की समीक्षा/निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन के अतिरिक्त आप द्वारा शीतकालीन भ्रमण के मध्य एक राजस्व ग्राम में रात्रि विश्राम भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(2) रात्रि विश्राम में नोडल अधिकारीगण ग्राम में चौपाल लगाकर जनसामान्य से सीधे संवाद स्थापित करेंगे, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं, तहसीलों, एवं थानों की कार्यप्रणाली पर फीडबैक प्राप्त किया जायेगा तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षेत्र में उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों से भी जनमानस को अवगत कराया जायेगा, साथ ही लाभार्थीपरक एवं अवस्थापना योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा।

(3) नोडल अधिकारी के ग्राम भ्रमण के समय जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अनिवार्य रूप से साथ रहेंगे। सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी भी भ्रमण के दौरान उपस्थित रहेंगे। नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु एक सुयोग्य अधिकारी एवं एक तकनीकी दल मय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपकरण की व्यवस्था जिलाधिकाकरी द्वारा की जायेगी। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक भी रात्रि विश्राम उसी ग्राम में करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2110(1)/एक-9-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निदेशक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

आर0वी0 सिंह
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।